दिनांक 05.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 416/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के भारी मात्रा में पीली धातु (635 ग्राम) –सफेद धातु (12.138 किलोग्राम) के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बलेनो कार आदि बरामद**

दिनांक 04/05.08.2026 को थाना बीटा–2, थाना इकोटेक–1 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटीएस गोलचक्कर के पास से 05 अभियुक्तों 1–अंकुर 2–अमित 3–सोहित 4–हिमांशु 5–कमलकांत को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के भारी मात्रा में पीली धातु (635 ग्राम) –सफेद धातु (12.138 किलोग्राम) के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 बलेनो कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.08.2026 को थाना बीटा–2 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अंकुर निवासी ग्राम डगरपुर, थाना रटौल, जनपद बागपत, वर्तमान पता रोहिणी सेक्टर–113, थाना के.एन. काटजू, दिल्ली।

2–अमित निवासी ग्राम डगरपुर, थाना रटौल, जनपद बागपत, वर्तमान पता रोहिणी सेक्टर–113, थाना के.एन. काटजू, दिल्ली।

3–सोहित निवासी ग्राम डगरपुर, थाना रटौल, जनपद बागपत, वर्तमान पता रोहिणी सेक्टर–113, थाना के.एन. काटजू, दिल्ली।

4–हिमांशु निवासी ग्राम जुनैदपुर, थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, वर्तमान पता रोहिणी, सेक्टर–113, थाना के.एन. काटजू, दिल्ली।

5–कमलकांत निवासी प्रेम विहार, नगली डेयरी, थाना नजफगढ़, दिल्ली।

बरामदगी

1–लूट के भारी मात्रा में पीली धातु (635 ग्राम) –सफेद धातु (12.138 किलोग्राम) के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 बलेनो कार आदि।

जनपद कानपुर देहात/थाना रनियॉ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 लाख 26 हजार रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 05.08.2026 को थाना रनियॉ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किशरवल रोड से 03 अभियुक्तों 1–आस मोहम्मद 2–राजू शाह उर्फ लहीक 3–कयूम अली को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 लाख 26 हजार रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रनियॉ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रनियॉ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रनियॉ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आस मोहम्मद निवासी नूरपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूँ।

2—राजू शाह उर्फ लहीक निवासी ग्राम रानी नागल थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

3—कयूम अली निवासी मोहल्ला सरायखान कस्बा व थाना मीरगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लूटे गये पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—01 लाख 26 हजार रूपये नगद।

3—07 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

5—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद हमीरपुर/थाना महोबकंठ

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 10 हजार 800 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04/05.08.2026 की रात्रि थाना महोबकंठ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिवई के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम

पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–भूरा उर्फ हरिकिशन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अंशुल 3–प्रिन्स सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 10 हजार 800 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19/20.07.2026 की रात्रि थाना महोबकंठ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महोबकंठ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त भूरा उर्फ हरिकिशन के विरूद्ध जनपद बांदा, हमीरपुर, हरदोई, झाँसी, जालौन, महोबा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के दो दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त अंशुल के विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना महोबकंठ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–भूरा उर्फ हरिकिशन निवासी कुलहेन्ढ़ा थाना मझगवा जनपद हमीरपुर।

2–अंशुल निवासी कैंथा थाना राठ जनपद हमीरपुर।

3–प्रिन्स निवासी टोला रावत थाना मझगंवा जनपद हमीरपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 10 हजार 800 रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना लोहामंडी

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 लग्जीरी कार (भिन्न–भिन्न कम्पनी)**
- **19 रजिस्टेशन सर्टिफिकेट**
- **13 हजार रूपये नगद**
- **09 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 05.08.2026 को थाना लोहामंडी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 08 अभियुक्तों 1–सत्यम 2–विवेक 3–संतोष कुमार 4–रंजीत 5–अजय पाल 6–रविकान्त 7–अनुभव 8–पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 लग्जीरी कार (भिन्न–भिन्न कम्पनी), 19 रजिस्टेशन सर्टिफिकेट, 13 हजार रूपये नगद, 09 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विवेक के विरूद्ध जनपद हरदोई, बरेली, कुशीनगर, कमिश्नरेट आगरा, लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लोहामंडी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यम निवासी छितौडा थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

2–विवेक निवासी गोहना थाना इटौजा, लखनऊ।

3–संतोष कुमार निवासी ग्राम मुहरहिया थाना नगर जनपद बस्ती।

4–रंजीत निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

5–अजय पाल निवासी ग्राम दुधोरा थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

6–रविकान्त निवासी लोहिया नगर थाना वाटरगंज जनपद बस्ती।

7–अनुभव निवासी असरफ टोला थाना शहर कोतवाली जनपद हरदोई।

8–पंकज कुमार निवासी महुरहिया थाना नगर जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–चोरी की 11 लग्जीरी कार (भिन्न–भिन्न कम्पनी)।

2–19 रजिस्टेशन सर्टिफिकेट।

3–13 हजार रूपये नगद।

4–09 मोबाइल फोन।

जनपद मेरठ/थाना लोहियानगर

- **अवैध शस्त्र की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध पिस्टल, 06 मैगजीन .32 बोर**
- **06 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद**

दिनांक 04.08.2026 की रात्रि थाना लोहियानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीर के पास फतेहउल्लापुर से अवैध शस्त्र की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्तों 1–जर्रार 2–रिहान 3–शादाब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध पिस्टल, 06 मैगजीन .32 बोर, 06 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लोहियानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जर्रार निवासी ग्राम लिसाड़ी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

2–रिहान निवासी ग्राम लिसाड़ी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

3–शादाब निवासी ग्राम लिसाड़ी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–03 अवैध पिस्टल, 06 मैगजीन .32 बोर।

2–06 अवैध तमंचा 315 बोर।

➢ **जनपद इटावा (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 62 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद इटावा पुलिस ने अभियुक्त बबलू पुत्र रामदास निवासी विष्णुपुरा थाना बाह कमिश्नरेट आगरा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत

करीब 62 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना भरतकूप (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बरकत अली 2–अफजल उर्फ फैजल 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 54 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी,ए/342/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आकाश 2–अनिल उर्फ मंगली को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 54 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना खन्दौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना खन्दौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनमोहन को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लोनी बार्डर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी बार्डर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/363/342

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राधेश्याम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 05.08.2026	
प्रेस विज्ञप्ति 417 / 2026	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एनएसई द्वारा उत्तर प्रदेश साइबर मुख्यालय में वित्तीय साक्षरता एवं साइबर धोखाधड़ी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के **"साइबर सुरक्षित एवं वित्तीय रूप से जागरूक उत्तर प्रदेश"** के संकल्प तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** के निर्देशो के क्रम में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जन जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।-

उक्त क्रम में **पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, उ0प्र0** के निर्देशन में साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने तथा नागरिकों में वित्तीय साक्षरता विकसित करने - हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिसके दृष्टिगत आज दिनांक 05.08.2026: को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के तत्वावधान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा उत्तर प्रदेश के साइबर मुख्यालय में एक वित्तीय साक्षरता एवं साइबर धोखाधड़ी जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जिसमें साइबर मुख्यालय, साइबर पुलिस थानों एवं साइबर सेल के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मी भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न साइबर सेल एवं साइबर पुलिस थानों के अधिकारी वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल रूप से जुड़े।

मुख्य वक्तव्य श्री मृदुल रस्तोगी, डिप्टी जनरल मैनेजर SEBI द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने आज के डिजिटल युग में वित्तीय साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती जटिलता, ठगों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य कार्यप्रणाली तथा नागरिकों द्वारा अपनाए जाने वाले निवारक उपायों पर विस्तार से चर्चा की।

इस पहल का आयोजन एवं समन्वय सीएस श्रुति शर्मा, प्रभारी, एनएसई उत्तर प्रदेश क्षेत्र – नियामक विभाग द्वारा किया गया, जो एनएसई की निरंतर निवेशक जागरूकता पहलों का हिस्सा है। यह कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सरकारी एजेंसियों को एक वित्तीय रूप से जागरूक एवं साइबर-सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग देने की एनएसई की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यक्रम में साइबर मुख्यालय, साइबर पुलिस थानों एवं साइबर सेल के अधिकारियों एवं कर्मियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसने SEBI, NSE एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की वित्तीय एवं साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध जन-जागरूकता बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया।

CYBER
CE HQ.